

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

सेवा में

✓ अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
हरियाणा, पंचकूला ।

यादि क्रमांक 526-व-4-2014/2997
चण्डीगढ़ दिनांक 19-2-2014

वन्य प्राणियों द्वारा होने वाले नुकसान के मुआवजा रेट बढ़ाने बारे ।

संदर्भ:


आपका अशा: क्रमांक 41, दिनांक 12.11.2013 ।

उपर्युक्त विषय पर सरकार विभाग के प्रस्तावानुसार वन्य प्राणियों द्वारा होने वाले नुकसान के मुआवजा रेट निम्न प्रकार से बढ़ाने के लिए सहमत हैं:-

S.No.	Nature of damage caused by wild animals like Leopard etc.	Existing rate		Revised Rate	
		Adult	Minor	Adult	Minor
(a)	In case of death due to attack of wild animal like Leopard etc.	30000/-	20000/-	200000/-	70000/-
(b)	Disability caused to human body due to attack of wild animals	15000/-	10000/-	100000/-	35000/-
(c)	In case of death of cattle due to lifting by leopard/Hyena/Wolf				
	Sr.No.	Name of Domestic Animal	Existing Rate	Revised Rate	
	i.	Cow ✓	800/-	12000/-	
	ii.	Bulls ✓	1200/-	12000/-	
	iii.	Buffalo ✓	15000/-	30000/-	
	iv.	Calf ✓	600/-	6000/-	
	v.	Buffalo Calf	800/-	7000/-	
	vi.	Sheep	300/-	3000/-	
	vii.	Goat	300/-	3500/-	
	viii.	Camel	1500/-	20000/-	
	ix.	Horse/Mare	1500/-	30000/-	

यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशा: क्रमांक 11/15/2014-3 वि०वि०-III/1986 दिनांक 30.01.2014 द्वारा प्रदान की गई सहमति के तहत प्रदान की जाती है।

W/O
11/3



राजपाल सिंह
अधीक्षक,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग 182

पृ० क्रमांक 526-व-4-2014/

चण्डीगढ़ दिनांक

एक प्रति प्रधान महालेखाकर (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा: क्रमांक 11/15/2014-3 वि०वि०-III/1986, दिनांक 30.01.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अधीक्षक,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

अशा: क्रमांक 526-व-4-2014/

चण्डीगढ़ दिनांक

पृ. क्र. 4026-31 दिनांक 24-03-14

इसकी एक प्रति वन संचालक (व.प्र.) पंचकुला व गुड़गांव
तथा मा. व. प्रो. आ. पंचकुला, रोहतक, गुड़गांव एवं हिसार को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

[Signature]
आ. व. प्रो. आ. व. प्र. (व.प्र.)
हरियाणा, पंचकुला।